UPEW010012662024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,(द०प्र०क्षे० अधि०)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–12, इटावा।

सत्र वाद संख्या–275/2024

जवाहर सिंह बनाम देवी दयाल

01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी जवाहर सिंह अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आये और न ही परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई स्थगन या मौहलत प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी पिछली अनेक नियत तिथियो से लगातार गैर हाजिर चल रही है। उक्त पत्रावली में परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया है, परन्तु परिवादी के वाद पत्र के कथनों के समर्थन में किसी साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० अंकित नहीं किया गया है। परिवादी की लगातार अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अब अपने इस वाद में रूचि नहीं रखती है और आगे कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः ऐसी दशा में परिवादी का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। मामले के गुणदोष पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र/प्रार्थना पत्र व परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० का अवलोकन किया गया। परिवाद के समर्थन में पत्रावली पर कोई सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों से विपक्षीगण के विरूद्ध तलबी का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवादी का वाद धारा–203 दं०प्र०सं० के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का उक्त वाद धारा–203 दं०प्र०सं० के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाए।

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–12,
इटावा।
J.O. Code–UP1643

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.01 19:06:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court